प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड–प्रथम,
वाराणसी।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांकः– /न0प्र0प्र0वा0/ए–6(नीलामी), दिनांकः वाराणसी,

विषयः– नीलामी सूचना संख्या–01/2022–23 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस खण्ड के जले हुये पी0वी0सी0 कोटेड तॉबें के तार, कास्ट आयरन/एम0एस0 स्क्रैप एवं गन मैटल स्क्रैप की नीलामी सूचना संख्या–01/2022–23 की छः प्रतियॉ संलग्न कर आपके पास सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि इस नीलामी सूचना को वाराणसी एवं अन्य जनपदों में प्रकाशित होने वाले निम्न किन्ही दो दैनिक समाचार पत्रों में एक–एक दिन के अन्तराल पर कम से कम दो बार प्रकाशित कराने की कृपा करें।

क्रमांक	समाचार पत्र का नाम	संस्करण	प्रकाशन का स्थान
1	2	3	4
1	दैनिक जागरण	हिन्दी, दैनिक	वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर।
2	अमर उजाला	हिन्दी, दैनिक	वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर।
3	आज	हिन्दी, दैनिक	वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर।

साथ ही विभागीय वेबसाइट www.idup.nic.in पर भी प्रदर्शित कराने की कृपा करें।

भवदीय

**संलग्नकः– नीलामी सूचना छः प्रतियों में
एवं एक अदद सी0डी0**

(मांगे राम)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः–1397 /न0प्र0प्र0वा0/ए–6/तदिनांक 02.08.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
3. वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता नलकूप/सोन, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल/लिफ्ट सिंचाई मण्डल/सिंचाई कार्य मण्डल/सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
7. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता यांत्रिक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर लोड करने हेतु (**संलग्नक : 01 अदद् सी.डी सहित**)।
8. अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड/लिफ्ट सिंचाई निर्माण खण्ड/सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड/बन्धी खण्ड/बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खण्ड/मूसा खांड बॉध खण्ड, वाराणसी/चन्द्रप्रभा खण्ड, मुगलसराय/नलकूप खण्ड, चन्दौली।
9. सहायक अभियन्ता–प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम, नलकूप खण्ड–प्रथम, वाराणसी।
10. खण्डीय लेखाधिकारी, नलकूप खण्ड–प्रथम, वाराणसी।
11. नोटिस बोर्ड

(मांगे राम)
अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड–प्रथम, वाराणसी

पत्रांकः–**1397** /न0खं0प्र0वा0/ए–6(नीलामी), दिनांकः वाराणसी, दिनांक **02.08.2022**

नीलामी सूचना संख्या–01/2022–23

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नलकूप खण्ड–प्रथम, वाराणसी के निम्नलिखित निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी सिंचाई कालोनी वरूणापूरम, सिगरा, वाराणसी स्थित खण्ड के केन्द्रीय कार्यशाला परिसर में दिनांक 26.08.2022 को दिन में 12:00 बजे किया जाना है। नीलामी की कार्यवाही सक्षम गठित समिति द्वारा की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र तथा शर्तें दिनांक 21.08.2022 से 23.08.2022 के मध्य दिन 4:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–प्रथम, वाराणसी के कार्यालय में निर्धारित मूल्य रू0–300.00 (तीन सौ रूपयें) + नियमानुसार जी0एस0टी0 मात्र देकर कार्यालय कार्य अवधि में क्रय किये जा सकते है। आवेदन–पत्र क्रय करने वाले व्यक्ति ही दिनांक 24.08.2022 को 3:00 बजे तक धरोहर धनराशि जमा कर सकते है।

क्रमांक	लॉट संख्या	सामग्री का नाम	मात्रा (कि0ग्रा0 में)	धरोहर धनराशि
1	1	जला हुआ पी0वी0सी0 कोटेड तॉबे का तार	5435.00	2,53,000.00
2	2	कास्ट आयरन/एम0एस0 स्क्रैप	360.00	1,400.00
3	3	गन मैटल स्क्रेप	275.00	14,500.00

नीलामी की मुख्य शर्तें :–

1. बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 24.08.2022 को दोपहर 3.00 बजे तक अंकित जमानत धनराशि के रूप में बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चेक जो की अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–प्रथम, वाराणसी के पक्ष में देय हो, जमा कर सकते है।
2. जमानत धनराशि जमा न करने वाले व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले पायेगें।
3. बोलीदाता को अपना फोटो पहचान–पत्र, निवास स्थान, कार्यालय के पते, दूरभाष संख्या (यदि हो तो) पैन कार्ड नम्बर व वाणिज्य कर विभाग की पंजीयन संख्या (जी.एस.टी संख्या) नोटरी से रूपयें–10/–के स्टाम्प पेपर पर सत्यापित करा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. बोली में भाग लेने वाले फर्म के प्रोपराईटर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बोली बोलने का अधिकार तभी दिया जायेगा जब कि वह बोली बोलने का अधिकार–पत्र जो कि रू.10/– के नोटरी पर सम्बन्धित फर्म द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करेगा, अन्यथा कि स्थिति में उक्त फर्म को बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा।
5. नीलामी में भाग लेने वाले सभी बोलीदाता को जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी/स्वप्रमाणित सत्यापित कर संलग्न करना होगा।
6. बिना पहचान पत्र के किसी व्यक्ति को नीलामी हेतु बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
7. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली मूल्य का 25 प्रतिशत तुरन्त बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना अनिवार्य होगा।
8. सिंचाई कालोनी परिसर स्थित केन्द्रीय भण्डार में दिनांक 21.08.2022 से 23.08.2022 के मध्य दिन 4:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सामग्री का निरीक्षण किया जा सकता है।
9. सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये किसी भी समय समस्त नीलामी निरस्त करने का अधिकार होगा।
10. सफल बोली की शेष 75 प्रतिशत धनराशि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सूचना प्रेषण की तिथि के दिवस के अन्दर जमा करते हुये सामग्री को हटाना/उठाना अनिवार्य होगा।
11. जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
12. विक्रय किये गये आवेदन–पत्र का मूल्य वापस नहीं किया जायेगा।
13. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–प्रथम, वाराणसी के कार्यालय में पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त सामग्री उठाने के लिखित आदेश मिलने के बाद ही सामग्री उठाये जा सकेगें।
14. यदि नीलामी के दौरान/बाद में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो प्रकरण विभागीय सक्षम अधिकारी को सन्दर्भित कर दिया जायेगा तथा उसका निर्णय दोनो पार्टियों को मान्य होगा।
15. यदि कोई अदालती मामला उत्पन्न होता है तो अदालत का क्षेत्र जनपद–वाराणसी ही माना जायेगा।
16. बोलीदाता का ध्यान भा.द.वि. की धारा–185 की ओर आकृष्ट किया जाता है कि वह किसी अवांछनीय तत्व को नीलामी स्थल पर लाकर नीलामी में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने की चेष्ठा न करें अन्यथा की स्थिति में उसके विरूद्ध पुलिस कार्यवाही करके उसे गिरफ्तार कराने की कार्यवाही की जायेगी। कोई भी बोलीदाता अस्त्र–शस्त्र के साथ नीलामी परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
17. नीलामी के शर्तें वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के परिशिष्ट 19 डी के अनुरूप होगी।
18. सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त बोलीदाता द्वारा सामग्री ले जाने से इन्कार की स्थिति में 25 प्रतिशत धरोहर धनराशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

(मांगे राम)
अधिशासी अभियन्ता